

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फ़ैक्स : 2552363, 2760561

क्र./पाठ्यक्रम/राशिके/2025/ 1925

भोपाल दिनांक 29/8/25

प्रति,

1. जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले, मध्यप्रदेश
2. प्राचार्य डाइट,
समस्त जिले, मध्यप्रदेश
3. जिला परियोजना समन्वयक
समस्त जिले, मध्यप्रदेश

विषय: EQIP-LEP के अंतर्गत शिक्षकों का कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रशिक्षण हेतु।

NEP 2020 में किए गए प्रावधानों के अनुरूप, विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल विकसित कराना तथा उन्हें आधुनिक समय के जीवन के अनुकूल ढालना आवश्यक है। NEP 2020 की इस मंशा को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश के चयनित विद्यालयों के शिक्षकों की डिजिटल शिक्षण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का समन्वय DIET द्वारा किया जाएगा और प्रशिक्षण स्थल DIET रहेगा।

प्रशिक्षण के लिए चयनित विद्यालयों के कक्षा 6 से 8 पढ़ाने वाले 2-3 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें विज्ञान अथवा गणित विषय के शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, प्रत्येक विकासखंड से बीआरसीसी अथवा बीआरसी द्वारा नामित एक बीएसी को भी इस प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाएगा।

1. प्रशिक्षण के दिनांक निम्नानुसार रहेंगे-

स. क्र.	जिलों का नाम	प्रशिक्षण की तिथि
1	कटनी, मण्डला, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, सिवनी, बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर, रायसेन, छिदिशा, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, निवाड़ी (17)	08 से 12 सितम्बर 2025
2	अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, श्योपुर, भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, गुना, छिन्डौरी, जबलपुर, बालाघाट, इंदौर, बुरहानपुर, खण्डवा, धार, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, देवास, शाजापुर, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, भोपाल (35)	22 से 26 सितम्बर 2025

2. AI प्रशिक्षण की विषयवस्तु:

- 2.1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की मूलभूत अवधारणाएं एवं परिभाषाएं।
- 2.2. शिक्षा में AI का उपयोग उदाहरण सहित स्पष्टता।
- 2.3. AI आधारित शिक्षण सामग्री और टूल्स का परिचय।
- 2.4. AI के उपयोग से पाठ योजना एवं मूल्यांकन में सुधार के तरीके।
- 2.5. प्रायोगिक सत्र: AI टूल्स का उपयोग एवं लाइव डेमो।
- 2.6. विद्यार्थियों में डिजिटल साक्षरता और रचनात्मक सोच बढ़ाने के उपाय।

3. प्रशिक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश (एजेंसी के कार्य): -

- 3.1. एजेंसी से तात्पर्य EdCIL (India) Limited से है। प्रशिक्षण संबंधी सभी कार्यक्रम जैसे प्रशिक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण समन्वयकों की नियुक्ति, आदि इसी एजेंसी द्वारा किए जाएंगे।
- 3.2. प्रशिक्षण स्थल डाइट होगा। डाइट में ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी उपकरण/अधोसंरचना (एलसीडी प्रोजेक्टर, माइक, स्पीकर, इंटरनेट सुविधा, आदि) न होने पर व्यवस्था एजेंसी द्वारा की जाएगी जिस पर होने वाला व्यय एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा। इस कार्य में जिला परियोजना समन्वयक सहयोग प्रदान करेंगे।
- 3.3. इस एक दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए लंच, चाय, पीने के पानी, फोल्डर, पेन, नोटबुक आदि की व्यवस्था प्रशिक्षण स्थल पर की जाना।
- 3.4. प्रशिक्षण समापन के बाद सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान करना।
- 3.5. प्रत्येक प्रशिक्षण दिवस की उपस्थिति एवं फोटोग्राफ्स का रिकॉर्ड रखा जाना।
- 3.6. समापन के बाद समस्त रिपोर्टिंग विभागीय प्रारूप में प्रस्तुत करना।

4. प्रशिक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश (डाइट प्राचार्य/ जिला परियोजना समन्वयक के कार्य): -

- 4.1. जिला परियोजना समन्वयक द्वारा प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों/ बीआरसीसी/ बीएसी का चयन करके उन्हें में इंटरनेट कनेक्शन एवं आवश्यक ऐप्स (ChatGPT, NotebookLM, Google Gemini, Microsoft Copilot) का फ्री वर्जन इंस्टॉल करने का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।
- 4.2. नामांकित शिक्षकों/ बीआरसीसी/ बीएसी की सूची समय-सीमा के भीतर 31 अगस्त 2025 तक एजेंसी को को प्रदान करना (जिलेवार शिक्षकों की संख्या परिशिष्ट-1 संलग्न है)।
- 4.3. परीक्षण स्थल डाइट होगा। डाइट में अधोसंरचना की व्यवस्था न होने पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी उपकरण/अधोसंरचना (एलसीडी प्रोजेक्टर, माइक, स्पीकर, इंटरनेट सुविधा, आदि) में जिला परियोजना समन्वयक एजेंसी को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 4.4. प्रशिक्षण समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक रहेगा जिसका पंजीयन प्रातः 9:30 बजे से 10:00 बजे तक किया जायेगा। एक बैच में (प्रतिदिन) अधिकतम 45 से 50 प्रतिभागी होंगे।
- 4.5. जिन जिलों में डाइट नहीं है, वहां प्रशिक्षण स्थल की व्यवस्था जिला परियोजना समन्वयक करेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार समय-सीमा में प्रशिक्षण आयोजित करें।



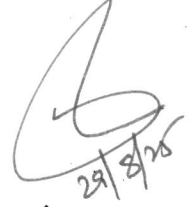
(हरजिंदर सिंह)

संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

प्रतिलिपि:

1. निज सहायक, मा. मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग को सूचनार्थ।
2. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को सूचनार्थ।
3. आयुक्त, लोक शिक्षा संचालनालय, भोपाल को सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आदिम जाति विकास विभाग को सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, समस्त जिले म.प्र. को सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले म.प्र. को सूचनार्थ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले म.प्र. को सूचनार्थ।
8. बीआरसीसी, समस्त विकासखण्ड म.प्र. को सूचनार्थ।



संचालक

राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

स. क्र.	जिलों के नाम	प्रशिक्षण हेतु बैच	प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों की संख्या
1	हरदा	3	150
2	होशंगाबाद/नर्मदापुरम्	5	250
3	बेतूल	5	250
4	अनुपपुर	3	150
5	उमरिया	3	150
6	शहडोल	5	250
7	आगर मालवा	3	150
8	शाजापुर	3	150
9	नीमच	3	150
10	मंदसौर	3	150
11	उज्जैन	5	250
12	देवास	4	200
13	रतलाम	5	250
14	सीहोर	4	200
15	भोपाल	5	250
16	रायसेन	4	200
17	विदिशा	5	250
18	राजगढ़	5	250
19	भिण्ड	4	200
20	श्यापुर	5	250
21	मुरैना	5	250
22	दतिया	4	200
23	ग्वालियर	5	250
24	अशोकनगर	4	200
25	गुना	5	250
26	शिवपुरी	5	250
27	रीवा	5	250
28	सतना	5	250
29	सीधी	5	250
30	सिंगरौली	5	250
31	नरसिंहपुर	5	250
32	डिंडोरी	4	200
33	मंडला	4	200
34	सिवनी	4	200
35	छिंदवाड़ा	5	250
36	जबलपुर	5	250
37	बालाघाट	5	250
38	कटनी	5	250
39	निवाड़ी	4	200
40	पन्ना	4	200
41	दमोह	5	250
42	टीकमगढ़	5	250
43	सागर	5	250
44	छतरपुर	5	250
45	बुरहानपुर	4	200
46	इंदौर	5	250
47	बड़वानी	5	250
48	आलीराजपुर	5	250
49	खरगोन	5	250
50	खंडवा	5	250
51	धार	5	250
52	झाबुआ	5	250
			11700